न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 165/2025 G.C.M.S. No. 2025/782 दर्ज दिनांक : 16.12.2025

अपीलार्थी:

1. नारायण पुत्र जस्साराम, उम्र बालिग, जाति सीरवी, निवासी पीपलाद रोड़, बगड़ी नगर, तहसील सोजत व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हेमाराम पुत्र जस्साराम
2. भंवरीदेवी पत्नि हेमाराम
3. मनोज कुमार पुत्र हेमाराम
4. संजय कुमार पुत्र हेमाराम
5. जितेन्द्रकुमार पुत्र हेमाराम, जातिगण सीरवी, निवासीगण बगडी नगर, तहसील सोजत, जिला पाली।
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 60/2022 बअनवान हेमाराम वगैरह बनाम नारायणलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2025

पैरोकार–

1. श्री दिव्यानंद शर्मा, श्री विरेन्द्रसिंह सिसोदिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री धर्मीचंद देवासी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 23.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 60/2022 बअनवान हेमाराम वगैरह बनाम नारायणलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पाँच ने एक वाद बाबत् बँटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बगडी के चक नम्बर 2 में खसरा नम्बर 2775 रकबा 2.6600 हेक्टर वाके आई हुई हैं। उक्त कृषिभूमि में वादी हेमाराम का 1/6 हिस्सा, भँवरीदेवी का 1/6 हिस्सा, मनोहर कुमार का 1/12 हिस्सा, संजय कुमार का 1/6 हिस्सा, जितेन्द्र कुमार का 1/12 हिस्सा । इस प्रकार वादीगण का सम्पूर्ण कृषिभूमि में 2/3 हिस्सा आता है । वादीगण तमाम एक ही परिवार के सदस्य होने से 2/3 हिस्से में संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या एक से तीन का संयुक्त 1/3 हिस्सा आता है। आज से करीब 20

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वर्ष पूर्व वादीगण एवम प्रतिवादी संख्या एक के मध्य आपसी सहमति से बँटवाडा के मुताबिक वादीगण एवम प्रतिवादी संख्या एक काबिज चले आ रहे है। चूंकि काश्त साथ में किया जाना संभव नहीं है। इसलिये नजरी नक्शा अनुसार बँटवाडा किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई किये बिना ही एकपक्षीय आदेश व डिक्री पारित की है। जो जानबुझ कर उसे सुनवाई के अधिकार से वंचित करने के लिये बिना कोई पूर्व सूचना के तारीख पेशी में पत्रावली लेकर आलोच्य निर्णय पारित किया है जो कार्यवाही विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मतें साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा न ही साक्ष्य हेतु अपीलार्थी को अवसर दिया गया। जिससे भी साबित होता है कि आलोच्य निर्णय बिना सुनवाई के पारित किया गया है। अपीलार्थी/प्रतिवादी व वादीगण/रेस्पोडेन्ट के मध्य बँटवाडा को लेकर विवाद है तथा हिस्सो को लेकर भी विवाद है। इसलिये बँटवाडा का वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है जो निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे वादीगण का वाद साबिज नहीं हुआ है तथा बिना साक्ष्य के वाद डिक्री किये जाने का निर्णय गलत रुप से पारित किया गया है, जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलांट व दीगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2025 को निर्णित व प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा अपील से सहमति जाहिर करते हुए अपीलांट को सुने जाने का अवसर दिए जाने बाबत सहमति निष्पादित कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किए गए। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट सहित प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से तथा प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। लेकिन विद्वान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक कायम किए बिना एवं साक्ष्य लिए बिना तथा प्रतिवादीगण द्वारा कोई राजीनामा या सहमति निष्पादित नहीं करने के बावजूद केवल अधिवक्ता अपीलांट के निवेदन पर अपीलांट सहित प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई हैं। जो वादपत्रों के सम्यक निस्तारण के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 से 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 के संगत आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों के विचलन में पारित की गई हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 60/2022 बअनवान हेमाराम वगैरह बनाम नारायणलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2025 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विवाद्यक विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 से 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 के संगत आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में दिनांक 20.04.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **23.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली